

11.6.18

पत्रावली राज्यत्व लोअ अडाकर कारभारा  
 में अरुण देवा कन्ड का. डि. पांफला छुई  
 में पेश छुई। वकील डालीगण उप।  
 विडलीगण को पारी लोअ अडाकर नामील  
 शुअ नोसिक डालत डुल विडलीगण कावपुड  
 खरपा के आकर नहीं होने पर खतरना  
 कारनाबी अणल में लाई जाली है।  
 वकील डालीगण की कदल शुअ गडी डालीगण



की आवेदन स्वीकार किया जाकर पिल्लू प्रोडर पुवक  
 के लिखवाया जाकर खरपा गया। और शारिल मिडल  
 किया गया। पत्रावली केवल शुअ 12 डेडा दाखिल क्यारहे।

उपखण्ड अधिकारी  
 विपारी


## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ.) सिणधरी

(लोक अदालत केम्प-अटल सेवा केन्द्र पायला खूर्द)

पीठासीन अधिकारी-श्री अंजुम ताहिर सम्मा, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स. 102/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गोरधनराम पुत्र प्रागाराम		1. हकीम खां पुत्र इब्राहीम खां
2. प्रभूराम पुत्र प्रागाराम		2. कासम खां पुत्र इब्राहीम खां
3. छगनाराम पुत्र प्रागाराम		3. सकीनों पत्नी बरकत खां जाति मुसलमान कुम्हार निवासी पायला खूर्द तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर
4. तारों पत्नी प्रागाराम जाति मेगवाल निवासी-पायला खूर्द तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		4. चेला पुत्र खंगार
		5. लिखमा पुत्र खंगार
		6. विरधा पुत्र खंगार
		7. किस्तुराराम पुत्र कुंपा
		8. नरसिंगाराम पुत्र कुंपा
		9. समरथाराम पुत्र कुंपा
		10. खीमाराम पुत्र कुंपा
		11. झीणी पत्नी कुंपा
		12. शंकर पुत्र प्रतापाराम
		13. मोहन पुत्र प्रतापाराम
		14. चेतन पुत्र प्रतापाराम
		15. झमू देवी पत्नी प्रतापाराम
		16. पूनमा पुत्र पेमा
		17. वजा पुत्र पेमा जाति कलबी निवासी पायला खूर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
		18. कूपसिंह पुत्र रूपसिंह
		19. शेरसिंह पुत्र रूपसिंह

  
उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी

20. बलवंतसिंह पुत्र रूपसिंह
21. डुंगरसिंह पुत्र रूपसिंह
22. मोहन कवंर पत्नी रूपसिंह
23. मकसिंह पुत्र जवारसिंह  
जाति राजपूत निवासी पायला  
खूर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
24. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
(वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थित:-1.श्री डालूराम चौधरी वकील प्रार्थीगण की ओर से।


2.विप्रार्थीगण:-एकतरफा।

### आदेश

दिनांक-11.6.2018

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम पायला खूर्द पटवार क्षेत्र पायला खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 272, 272/5 रकबा क्रमशः 22-16, 16-05 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा का चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पायला खूर्द पटवार क्षेत्र पायला खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 272, 272/5 रकबा क्रमशः 22-16, 16-05 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।


2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा

  
उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी

प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।


3. वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पायलां खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 272, 272/5 रकबा क्रमशः 22-16, 16-05 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा का ताल चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते हैं, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पायलां खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 272, 272/5 रकबा क्रमशः 22-16, 16-05 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावें जावे।

4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, सलंगन दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पायलां खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 272, 272/5 रकबा क्रमशः 22-16, 16-05 बीघा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड सहखातेदार हैं, जो पत्रावली के सलंगन विवादित भूमि संवत् 2071 से 2074 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल होने के हाजिर नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है, कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की

  
उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी

खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसी सूरत में उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम पांयला खूर्द पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 272, 272/5 रकबा क्रमशः 22-16, 16-05 बीघा के सम्बन्ध में सीमाज्ञान की पूर्व में तहसीलदार सिणधरी कार्यवाही करावें। प्रार्थी नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क वहन करेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।



(अंजुम ताहिर समा)

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 11/11/18

को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी  
उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी